


प्रति,

जन सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य अभियंता (मा.सं.) उत्पादन
छ.रा.वि.उत्पादन कं. मर्या.
डंगनिया रायपुर



विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दस्तावेज/जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

—00—

महोदय जी,

- सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत दस्तावेज/जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।
1. आवेदक का नाम - श्री मंतराम साहू
 2. आवेदक का पता - बसंत नगर (नारायणपुर), भानुप्रतापपुर
पो0 + तह0 - भानुप्रतापपुर, जिला - कांकेर (छ0ग0)
पिन नं0 - 494669
मो0 नं0 8878067164, 9424275597
 3. चाही गई सूचना का विवरण - भुवबिस्थापितों के लिए अनुकम्पा आधार पर सीधी भर्ती के लिए कौन से पद चिन्हीत थे उनमे से कितने स्वीकृत पद थे और कितनी नियुक्तीया दी गई उसके समेकित सूची उपलब्ध करावें
 4. चाही गई सूचना का प्रारूप - सत्यापित प्रति।
 5. आवेदन शुल्क जमा करने का विवरण - भारतीय पोस्टल आर्डर कं0 42F230960 की कॉपी सह उपमहाप्रबंधक जन सूचना अधिकारी छ0रा0वि0 उत्पादन कम्पनी डंगनिया रायपुर के नाम मात्र 10 रु. संलग्न।

आशा है कि वांछित जानकारी निर्धारित कालावधि में उपलब्ध करायी जावेगी। वांछित नकल शुल्क मांगते ही देने को तत्पर हूँ।

"धन्यवाद"

दिनांक :- 30/05/2017

स्थान :- भानुप्रतापपुर

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :- मंतराम साहू
पता :- बसंत नगर (नारायणपुर) भानुप्रतापपुर
पो0 + तह0 - भानुप्रतापपुर,
जिला - कांकेर (छ0ग0)
पिन :- 494669
मो0 :- 8878067164, 9424275597





CHHATTISGARH STATE POWER GENERATION CO. LTD.
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) CIN: U40108CT2003SGC015821

रायपुर, दिनांक 07-07-17

क्र. 03-11/सू.अधि./49-17/2867

प्रति,

श्री मंतराम साहू,
बसंत नगर नारायणपुर भानुप्रतापपुर,
पो. व तह.—भानुप्रतापपुर, जिला—कांकेर,
छ.ग. पिन—494669।

विषय:—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी विषयक।
संदर्भ:—आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पत्र क्र. निरंक दिनांक 30.05.2017 एवं इस कार्यालय का पंजीयन क्र. 49-17 दिनांक 02.06.2017।

—:000:—

विषयांतर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपका पत्र इस कार्यालय में दिनांक 01.06.2017 को प्राप्त हुआ है जिसे प्रकरण क्रमांक 49-17 दिनांक 02.06.2017 के द्वारा पंजीकृत किया गया है। आपके द्वारा पूछे गये सभी प्रश्न **Official memorandum Director of Ministry of Personnel Public Grievances & pensions Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi** के मेमोरेण्डम क्र. 1900/सीएस/09/जीओआई दिनांक 18.06.2009 के अनुसार ग्राह्य नहीं किए जा सकते। साथ ही आवेदन द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है के कहीं के भू-विस्थापित है एवं भू-विस्थापितों के लिए अनुकंपा के आधार पर सीधी भर्ती के लिए कोई भी पद चिन्हित नहीं है। अतः आपको जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत उक्त जानकारी के विरुद्ध, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, निर्धारित आवेदन पंजीयन शुल्क रु. 50/- मात्र का भुगतान कर प्रथम अपील आवेदन निर्णय प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता निम्नानुसार है:—

श्री पी.के.अग्रवाल
अपीलीय अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.संसा.)—एक
कार्यालय— मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर।
दूरभाष—0771-2574883

R. J. K. K. K.

(राजीव झा)

जनसूचना अधिकारी सह प्रबंधक (मा.सं.)
कार्या.—मुख्य अभियंता (मा.संसा.),
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर
दूरभाष क्रमांक 0771-2574081

etc R. J. K. K. K.

Regd. Office: "Vidyut Sewa Bhavan" Dangania, Raipur (C.G.)
Chief Engineer (HR), Shed No. 03, Dangania, Raipur (C.G.) 492013
कार्यालय मुख्य अभियंता (मा.संसा.) शेड क्र.—03, डंगनिया, रायपुर (छोगा) 492013

Tele: 0771-2574408, Fax: 0771-2574035, E-Mail: hr.cspgcl@cspc.co.in Website: www.cspc.co.in/cspgcl

No 1900 /CS/09/GOI
Date 18 JUN 2009

1
No. 1900 /CS/09/GOI
Date 18 JUN 2009

No.1/7/2009-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

12 JUN 2009
Secy, RTI

North Block, New Delhi
Dated: the 1st June, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Decision dated 3.4.2008 of the High Court of Bombay at Goa in Writ Petition No.419 of 2007 in the case of Dr. Celsa Pinto Vs. Goa State Information Commission regarding information under the Right to Information Act, 2005.

The undersigned is directed to say that the High Court of Bombay at Goa in the above referred case has held on 3.4.2008 that the term 'information' as defined in the Right to Information Act does not include answers to the questions like 'why'. The relevant part of the judgement is reproduced below:

"The definition of information cannot include within its fold answers to the question "why" which would be same thing as asking the reason for a justification for a particular thing. The public information authorities cannot expect to communicate to the citizen the reason why a certain thing was done or not done in the sense of a justification because the citizen makes a requisition about information. Justifications are matter within the domain of adjudicating authorities and cannot properly be classified as information."

This may be brought to the notice of all concerned.



(K.G. Verma)
Director
Tel: 23092158

- 1. All the Ministries / Departments of the Government of India
- 2. Union Public Service Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.
- 3. Central Information Commission/State Information Commissions.
- 4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
- 5. O/o the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
- 6. All officers/Desks/Sections, DOP&T and Department of Pension & Pensioners Welfare.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.

11 22
11 22
11 22

23
18/06/09

Agarwal
23/06/09

18 JUN 2009
J.S.(M)
180